निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प विजयपुरा

प्र.सं 48/2017 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 28.05.2018

अनवान

1. श्री मति टीपु पत्नि स्व. नैनुराम गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
2. श्री मति दाखु बाई पुत्री स्व. नैनुराम गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
3. श्री जमनालाल पिता नैनुराम गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
4. श्री नारू पिता नैनुराम गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
5. श्री रूपा पिता नैनुराम गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
6. श्री शिवा पिता नैनुराम गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
7. श्री रमेश पिता नैनुराम गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

.....वादीगण

बनाम

1. श्री चुन्नीलाल पिता हमता गुवारिया नि. चेता आसन तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

.....प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 53 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प विजयपुरा में पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव उचित प्रतित होता हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खाते भी पृथक पृथक कायम करने के आदेश दिये जाते है।

ग्राम चेता आसन प.ह. कामली त. देवगढ़ में स्थित आराजियात।

1. चुन्नीलाल पिता हमता 1/2 जमनालाल जीवनलाल नारूलाल रूपलाल शिवलाल रमेश दाखु पिता नेनुराम टीपूबाई पत्नी नेनूराम 1/2 गंवारिया सा. देह खा. रहन एसबीबीजे शाखा देवगढ़ हि. नेनुराम के हिस्से व खातेः–

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
16/7	0.02	आ.चा.	
योग 1	0.02		

2. चुन्नीलाल पिता हमता गंवारिया सा. देह खा. के हिस्से व खातेः–

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान

16/5	3.10	बा. 2	0.11
16/6	1.19	बा. 2	1.28
17/3	1.05	बा. 2	0.33
17/9	2.10	बा. 2	0.03
योग 4	3.10		1.73

3. जमनालाल जीवनलाल नारूलाल रूपलाल शिवलाल रमेश दाखु पिता नेनुराम टीपूबाई पत्नी नेनूराम गंवारिया सा. देह खा. रहनः– एसबीबीजे ाखा देवगढ़ के हिस्से व खातेः–

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
16/2	3.10	बा. 2	0.12
16	1.17	बा. 2	1.25
17/5	2.10	बा. 2	0.03
17/7	0.02	बा. 2	0.02
17/8	1.05	प.2	0.33
योग 5	3.10		1.75

वादी वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेश करें तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प काकरोद में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कर की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमंद